टेली-फैक्स: 26173775

संख्या/No : 13/1/2017/उ.नि.(टं./आ.)/5486-6186

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

HINDI TEACHING SCHEME , HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,
आर.के. पुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated , 27-11-2017

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
सभी मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली ।

विषय: हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन-फरवरी 2018

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2018 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 14-15 फरवरी 2018 को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। जबकि कक्षाएं दिनांक 18 फरवरी 2018 से आरंभ होंगी। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक "क" में दी गयी है। कृपया प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को दिनांक 31-1-2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए ।

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अत: अनुरोध है कि कार्मिकों का प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी आशुलिपि
अवधि	फरवरी 2018 से जनवरी 2019
परीक्षा	जनवरी 2019 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि।

पात्रता- केवल उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य:

सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु।

स्वैच्छिक :

अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु*

*हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
अवधि	फरवरी 2018 से जुलाई 2018 में
परीक्षा	जुलाई के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

पात्रता : केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य :

सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (अवर श्रेणी लिपिकों), डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंटरी ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

स्वैच्छिक:

1. वर्तमान में सहायकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों (उच्च श्रेणी लिपिकों) तथा अनुवादकों के लिए टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है; किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन,नकद पुरस्कार आदि

चयन का आधार

- जिन कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन्हें अन्य मानक, जैसे संवर्ग/सेवा की श्रेणी समान होने पर, उनकी आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह शर्त प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और सीटों के भरने तक ही लागू रहेगी। यदि इसके बाद भी कक्षा में स्थान रिक्त रहता है तो स्वैच्छिक आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों को पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से सेवानिवृत्ति को एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 28 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि की परीक्षा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे
- परन्तु जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृ भाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

परीक्षा शुल्क :

केंद्रीय उपक्रमों, निगमों तथा बैंकों, आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है ।
  उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख"में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए । नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में 14-15 फरवरी, 2018 को प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा ।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस परिपत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना है ।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके ।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते, वहां स्थान उपलब्ध हो ।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

भवदीय

(संत राम) 27|11|2017

उप निदेशक (टं./आ.)

Chti 1035

अनुलग्नक "क"

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायकनिदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों कोप्रवेशमें प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामाकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चंद शर्मा फोन 26173246	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल,डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा फोन 23036516	डाक भवन, पटेल भवन,निर्वाचन सदन,संचार भवन, कानॉट प्लेस, संसद मार्ग,तथाआसपास के सभी कार्यालय बैंकआदि	कंप्यूटर पर
4.	योजना भवन कमरा नं. 519-ए, संसद मार्ग,योजना भवन, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23042528	योजना भवन, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, श्रम शक्ति भवन,परिवहन भवन, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	बी-ब्लाक, कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंटस,(साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर फोन 23014875	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लाक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन,तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	रेल भवन कमरा नं. 564 डी रेल भवन, नई दिल्ली	श्री चमन सिंह फोन 23215045	रेलभवन कृषि भवन,उद्योग भवन , शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन तथा आसपास के कार्यालय	कंप्यूटर पर
7.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथिगृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघलोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन,निर्माण भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, जामनगर हाउस, केन्द्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
8.	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं.250 बहादुरशाह जफर मार्ग	श्री रामसकल सिंह फोन 23215045	मानक भवन, आयकर भवन, तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

अनुलग्नक "ख"

नामांकन प्रपत्र

नामित कर्मचारियों का विवरण						सुविधाजनक केंद्र
प्रशिक्षण		नाम/पदनाम	दूरभाष/ई-मेल	हिंदी में योग्यता	जन्म तिथि	
टंकण	आशुलिपि					
1	2	3	4	5	6	7

31-01-2018 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या (कृपया इस कालम को अनिवार्य रूप से भरें)

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि

नामित करने वाले अधिकारी का नाम..

कार्यालय का नाम व पूरा पता..

दूरभाष सं0 ....

ई-मेल आई-डी ....

पृष्ठांकन सं0 13/1/2017-उ.नि.(टं/आ.)/5486-6186 दिनांक: 27-11-2017

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव को सचिव के सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय।
9. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खण्ड-7, आर0के0पुरम, नई दिल्ली।
10. केन्द्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली।
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. संपादक, राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
18. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
19. उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा व्यवस्था करें।
20. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चैन्नै/गुवाहाटी।
22. सहायक निदेशक (टं./आ.) हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केन्द्र..
23. सहायक निदेशक (टं./आशु.), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, के.हि.प्र.सं. नई दिल्ली।

27/11/2017

(संत राम)

उप निदेशक (टं/आ.)

Cntl 1035